(34)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
समक्षः डा0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 616–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–11–2013 पारित द्वारा आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण कमांक 190/अपील/2011–12.

———

कालू सिंह आत्मज खुमानसिंह
निवासी – ग्राम रोसला जागीर
तहसील पचौर जिला राजगढ़, म.प्र.

——— आवेदक

विरूद्ध

1. प्रेमसिंह आत्मज श्री करणसिंह चौरसिया
2. नंदनसिंह आत्मज श्री करण सिंह चौरसिया
3. करणसिंह आत्मज श्री मेहताबसिंह चौरसिया
4. छीतासिंह आत्मज भागचंद चौरसिया
5. मोहनलाल आत्मज श्री भागीरथ सुतार
6. हेमराज आत्म्ज भागरीथ सुतार
7. लक्ष्मीबाई बेवा भागीरथ सुतार
   सभी निवासीगण ग्राम रोसला जागीर,
   तहसील पचौर जिला राजगढ़ म.प्र.

——— अनावेदकगण

———

श्री बी0यू0 खान, अभिभाषक – आवेदक
श्री एम0के0 सक्सेना, अभिभाषक – अनावेदकगण

———

:: आदेश ::
(दिनांक 28 जनवरी 2016 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू– राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के आदेश दिनांक 26–11–2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक कालूसिंह ने संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार टप्पा तलेन तहसील पचोर के समक्ष इस आशय का एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम रोसला जागीर में उसके स्वामित्व की भूमि ख0क0 738/2 रकबा 0.329 हे0 भूमि पर ग्राम रोसला जागीर से ग्राम धुवाखेड़ी आने–जाने वाले शासकीय सड़क से चलकर अनावेदक कमांक 4 से 7 व भूमि ख0क0 725/2 के मध्य मेड़ से होकर तथा अनावेदक कमांक 1 एवं 2 के स्वामित्व की भूमि ख0 क.0 724/1 तथा अनावेदक कमांक 3 के स्वामित्व की भूमि ख0क0 723/1 में से होकर जाता है जिसे अनावेदकगण ने बंद कर दिया है उसे खुलवाया जाये। अनावेदकगण द्वारा आवेदन पत्र का जबाव प्रस्तुत कर रास्4ता होना अस्वीकार किया तथा उल्लेख किया कि आवेदक अपने खेत में मकान बनाकर निवास करता है तथा अनावेदकों को अपने खेत एवं निवास पर जाने के लिये उसके खेत के पास भूमि ख0क0 737/2 से लगकर शासकीय रास्ता (रोसाला जागीर से बूचाखेडी मार्ग रिकार्डेड रास्ता है) मौजूद है। विचारण न्ययालय टप्पा तलेन ने आदेश दिनांक 12–01–12 द्वारा आवेदक का आवेदन स्वीकार कर अनावेदकों के खेत में से रास्ता दिये जाने का आदेश दिया, जिसके विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी सांरगपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 01–06–12 द्वारा निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदकों द्वारा आयुक्त भोपाल संभाग को अपील प्रस्तुत की गई। आयुक्त ने आदेश दिनांक 26–11–13 के द्वारा इस आधार पर की ट्रेक्टर, वाहन आदि के लिये सुविधा के आधार पर किसी भूमिस्वामियों के खेतों से निकलने के आधार पर रास्ता नहीं दिया जा सकता है। धारा 131 के अन्तर्गत निवास स्थान से अपने स्वामित्व की भूमि पर कृषि हेतु रास्ते का प्रावधान है न कि अन्य कार्यों के लिये। कृषि कार्य हेतु पैदल आवागमन खेतों की मेड़ों पर से कर सकता है न कि वाहन द्वारा ऐसी स्थिति में अधीनस्थ का आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया तथा अपील स्वीकार की गई। आयुक्त के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 ने दिनांक 14–7–11 को पश्चिमी मेंड पर बागड़ लगाकर आवेदक का रूढिगत रास्ता रोक दिया जिससे आवेदक का कृषि कार्य अवरूद्ध होने के कारण आवेदक ने तहसील न्यायालय में रास्ते को खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने विधिवत रास्ता खोलने का आदेश दिया जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने यथावत रखा, परन्तु आयुक्त द्वारा दोनों आदेश निरस्त करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के संदर्भ में उचित विवेचना नहीं करने में भूल की है तथा स्थल निरीक्षण रिपोर्टों एवं पंचानामे के विपरीत आदेश पारित करने में त्रुटि की है। तर्क में यह भी कहा कि अनावेदकों द्वारा अवरूद्ध किया गया मार्ग पूर्व से प्रचिलत मार्ग है जिसका वह पूर्व से उपयोग करता आ रहा था। विचारण न्यायालय ने कोई नया रास्ता खोलने का आदेश नहीं दिया है बल्कि अनावेदकों द्वारा अवरूद्ध किये गये रास्ते को खोलने का आदेश दिया है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त की जाये।

4/ अनावेदकों के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि आवेदक की भूमि सर्वे कमांक 737/1 एवं 737/2 है तथा सर्वे कमांक 737/2 से लगा शासकीय रास्ता भी है। आवेदक सर्वे कमांक 737/1 में निवास करता है। निवास से खेती तक के लिए शासकीय रास्ता उपलब्ध है। आवेदक जिस रास्ते की मांग कर रहा है वह रूढ़िगत रास्ता नहीं है। नवीन रास्ते की मांग कर रहा है। संहिता की धारा 131 में नवीन रास्ता दिये जाने का प्रावधान नहीं है। तहसील न्यायालय ने अनावेदकों की भूमि में से नवीन रास्ता देने में अवैधानिकता की है। यह भी तर्क दिया कि आवेदक की भूमि से लगा हुआ शासकीय रास्ता मौजूद है उक्त रास्ता राजस्व अभिलेख एवं नक्शे में अंकित है। उक्त रास्ते का उपयोग आस–पास के कृषक तथा अनावेदकगण एवं अन्य ग्रामवासीगण भी करते हैं। जब अनावेदकों ने भूमि कय की उसके पश्चात ही आवेदक द्वारा अनावेदकों की भूमि से रास्ते के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। तर्क में यह भी कहा कि विचारण न्यायालय ने अनावेदकों के साक्ष्य की विवेचना नहीं की। शासकीय रास्ता भी ग्राम रोसला

जागीर से बुचाखेडी वाले वाले रास्ते से शुरू होता है। सुविधा के आधार पर किसी भी कृषक की खेती को नष्ट नहीं किया जा सकता। आयुक्त द्वारा पारित आदेश उचित है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष कि आवेदक की भूमि पर शासकीय रास्ता रोसला जागीर से बूचााखडी मार्ग मौजूद है तो ऐसी स्थिति में अन्य भूमिस्वामी की भूमि में से रास्ता देने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है, उचित है। आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत नवीन रास्ता चाहा है। जबकि *म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 131 मार्गाधिकार तथा अन्य प्राईवेट सुखाचार संबंधी अधिकार– (1) इस बारे में कि कोई खेतिहर अपने खेतों पर या ग्राम की बंजर भूमि या चरागाहों पर मान्यता प्राप्त सड़कों, पथों या सार्वजनिक भूमि पर से, जिसके अंतर्गत वे सड़कें तथा पथ हैं जो धारा 242 के अधीन तैयार किए गए ग्राम के बाजब–उल–अर्ज में अभिलिखित हैं, न हो कर अन्यथा किस मार्ग द्वारा पहुंचेगा, या इस बारे में कि वह किस स्त्रोत से या किस जलसरणी से अपने लए जल प्राप्त कर सकेगा, कोई विवाद उद्भूत होने की दशा में, तहसीलदार स्थानीय जांच करने के पश्चात, उस मामले को, प्रत्येक मामले विषयक पूर्व रूढ़ि के प्रति निर्देश कर के तथा समस्त संबंधित पक्षकारों की सुविधा का सम्यक् ध्यान रखते हुये, विनिश्चित कर सकेगा।*

(2) इस धारा के अधीन पारित किया गया कोई भी आदेश किसी व्यक्ति को सुखाचारों के ऐसे अधिकारों को स्थापित करने से विवर्जित नहीं करेगा जिनका कि दावा वह सिविल वाद द्वारा कर सकता हो।

किसी व्यक्ति के लिए केवल रास्ते की दूरी कम करने के लिए नवीन रास्ते का आदेश देना संहिता के प्रावधानों के विपरीत है। आवेदक को सर्वे कमांक 737/2 से लगा शासकीय रास्ता (रोसला जागीर से बूचाखेडी मार्ग) प्राप्त है जो शासकीय अभिलेखों में दर्ज है। आवेदक अनावश्यक रूप से अनावेदकों के खेत से रास्ता चाह रहा है जबकि वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है जिसको अन्य लोग भी

उपयोग करते हैं वहीं से जाने की प्रथा है और रास्ता नक्शे में चिन्हित है। निगरानीकर्ता कालूसिंह अपने स्वामित्व की भूमि पर मकान बनाकर निवास करता है। सुविधा के आधार पर किसी के खेत नष्ट कर एवं क्षति पहुंचा कर रास्ता नहीं दिया जा सकता है जबकि निगरानीकर्ता कालूसिंह को अपने स्वामित्व की भूमि पर पहूंचने के लिए शासकीय मार्ग उपलब्ध है। नये रास्ते को खोलने का आदेश वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है। विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय ने संहिता की धारा 131 के प्रावधानों के विपरीत पारित आदेशों को आयुक्त द्वारा निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। आयुक्त का आदेश दिनांक 26–11–13 स्थिर रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर